दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित: 04 फरवरी, 2014
निर्णीत: 17 फरवरी, 2014

आप.अ. 1579/2011

संवर उर्फ रज्जाक ..... अपीलार्थी

द्वारा : श्री संजय कुमार, अधिवक्ता

बनाम

राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री लवकेश साहनी, अति.लो.अभि.
उप.नि. जयबीर, थाना अलीपुर

कोरम:

न्यायमूर्ति श्री एस.पी.गर्ग

एस.पी.गर्ग न्या.

1. यह अपील संवर उर्फ रज्जाक द्वारा सत्र वाद सं. 60/08 में दिनांक 15.11.2011 को दिए गए निर्णय की वैधता को चुनौती देने हेतु प्रस्तुत की गई है, जो पुलिस स्टेशन अलीपुर में दर्ज प्राथमिकी सं. 72/08 से उद्भूत हुई थी,

जिसके द्वारा उसे तथा उसके साथियों को भा.दं.सं. की धारा 395/398 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया था। अपीलार्थी को आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत भी दोषी ठहराया गया था। दिनांक 19.11.2011 के आदेश द्वारा, उसे भा.दं.सं. की धारा 395/398 के तहत 2,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आठ साल के कठोर कारावास एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। दोनों सजाएँ एक साथ चलनी थीं।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला जैसा कि आरोप पत्र में पेश किया गया है, वह यह है कि 03/04.04.2008 की रात को, संजीव कुमार (अभि.सा.-1) सुरक्षा गार्ड को ईस्ट इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठेके वाली गली, अलीपुर, दिल्ली में स्थित गोदाम के बाहर तैनात किया गया था और वह रात 08 बजे से सुबह 08 बजे (अगली सुबह) तक ड्यूटी पर था। लगभग 02.15 बजे, जब वह गोदाम का चक्कर लगा रहा था, उसने शटर के पास दो टेम्पो खड़े देखे। जब उसने टॉर्च जलाई, तो उसने देखा कि चार व्यक्ति इसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चेतावनी देने पर, तीन और व्यक्ति टेम्पो से उतरे; वे तलवारों, लोहे की रॉड एवं चाकू से लैस थे तथा उसे भाग जाने की धमकी दी। उसने 'डाकू-डाकू' चिल्लाया तथा पीछे की तरफ भागने लगा अन्य बदमाशों ने भी उस पर चाकू से हमला किया, जो उसके बाएं जांघ पर लगा तथा खून बहने

लगा। इसी बीच दो पुलिस/बीट अधिकारी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे। उन्हें देखकर हमलावर मौके से जी.टी. करनाल रोड की तरफ भाग गए। सिंघु बॉर्डर पर उन टेम्पो को पीछा करके रोका गया और टेम्पो से उतरकर चारों आरोपी भागने लगे; उन्हें काबू किया और पकड़ लिया गया। अपीलार्थी (संवर उर्फ रज्जाक) उनमें से एक था तथा उसे अमजद खान, शेख शराफत एवं इमरान उर्फ रिक्की को चाकू के साथ पकड़ा गया। पंजीकरण सं. एचआर55-डी-0508 तथा यूपी14-एई-9143 वाले दो टेम्पो जब्त किए गये। जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता संजीव कुमार के बयान दर्ज करने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद, सिकंदर उर्फ राजा एवं जन मोहम्मद उर्फ भोला को भी गिरफ्तार किया गया तथा उनके खिलाफ पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया गया। उन सभी पर विधिवत आरोप लगाए गए तथा भा.दं.सं. की धारा 395/397/398 के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष ने अपने आरोपों को पुष्ट करने के लिए सत्रह गवाहों की जांच की। 313 बयानों में, आरोपी व्यक्तियों ने झूठे आरोप लगाने का दावा किया। पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने कथित निर्णय में अमजद खान, इमरान उर्फ रिक्की, शेख शराफत तथा संवर उर्फ रज्जाक (अपीलार्थी) को दोषी ठहराया तथा सिकंदर उर्फ राजा एवं जन

मोहम्मद को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य ने उनके बरी होने के प्रति चुनौती नहीं दी थी।

3. अपीलार्थी की दोषसिद्धि शिकायतकर्ता संजीव कुमार (अभि.सा.-1) की एकमात्र परिसाक्ष्य पर आधारित है, जिसने न्यायालय में उसकी पहचान घटनास्थल पर चाकू रखने वाले हमलावरों में से एक के रूप में की थी। जब उसने हमलावरों को चेतावनी दी, तो अपीलार्थी ने चाकू से उसकी जांघ पर वार कर उसे घायल कर दिया। उसने आगे यह भी कहा कि मोटरसाइकिल पर पीछा करने के बाद, अन्य लोगों के साथ आरोपी को सिंघू बॉर्डर पर पकड़ लिया गया और उसका बयान (प्र.अभि.सा.-1/क) दर्ज किया गया। अपीलार्थी से बरामद चाकू को जब्त कर लिया गया है। पुलिस साक्षी के परिसाक्ष्य भी ऐसे ही है। शिकायतकर्ता, जिसकी अपीलार्थी के साथ कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी, के पास उसे गलत तरीके से पहचानने तथा फंसाने का कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था। शिकायतकर्ता के पास असली अपराधी को बरी करने का कोई कारण नहीं था। पीड़ित को चोटें आई थीं तथा उसे नरेला के सत्यवादी राजा हरीश चंद्र अस्पताल ले जाया गया था। एमएलसी (प्र.अभि.सा. 11/क) तैयार की गई एवं चोटों को 'केवल तेज हथियार के कारण हुई' माना गया। अभि.सा.-3 (डॉ. वेद पाल) इंद्रावती पॉली क्लिनिक, खसरा सं. 1734, अलीपुर, दिल्ली ने लगभग 06.40

बजे कांस्टेबल भोपाल सिंह द्वारा 'घुटने के जोड़ तथा बाएं जांघ पर चाकू से तेज चोट' के कथित चिकित्सीय इतिहास के साथ लाए गए मरीज की पहली बार जांच की थी। प्राथमिक उपचार प्रदान करने के बाद, उन्होंने मरीज को एक सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। प्र.अभि.सा.3/क में दर्ज उक्त मरीज का चिकित्सीय इतिहास उनकी लिखित में था। अभि.सा.-11 (डॉ. राजेश कुमार) ने शिकायतकर्ता-संजीव कुमार की चिकित्सकीय जांच की तथा एमएलसी (प्र.अभि.सा.-11/क) तैयार की। घायल साक्षी के परिसाक्ष्य को बिना ठोस कारणों के खारिज नहीं किया जा सकता है। हमलावरों के कब्जे से टेंपो की बरामदगी उन्हें अपराध से जोड़ती है। आरोपी ने घटनास्थल पर टेम्पो के साथ विषम समय पर मौजूद होने के बारे में कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं दिया।

4. अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सक्षम था कि अपीलार्थी एवं उसके साथी विभिन्न हथियारों से लैस होकर टेम्पो में मौके पर पहुंचे थे। जब वे गोदाम में घुसने की कोशिश करते पाए गए, तो शिकायतकर्ता-संजीव कुमार (अभि.सा.-1) ने उन्हें ऐसा करने से रोका तथा चेतावनी दी। इस पर, शिकायतकर्ता पर हमला किया गया तथा उसे घायल कर दिया गया। भले ही अभियोजन पक्ष के मामले को उसके आधार पर देखा जाए, लेकिन धारा 395/397/398 के हिस्से जिसके लिए अपीलार्थी एवं उसके साथियों पर आक्षेप

लगाए गए थे, आकर्षित या सिद्ध नहीं होते हैं। प्रतिपरीक्षा में, शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि कोई 'चोरी' नहीं हुई थी तथा अपराधियों द्वारा कुछ भी नहीं ले जाया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हथौड़ा या शटर को काटने वाली कोई भी अन्य चीज जैसी कोई काटने वाली सामग्री नहीं मिली या बरामद नहीं हुई। उन्होंने स्वेच्छा से यह भी कहा कि हमलावर शटर के पास मौजूद थे तथा इसे खोलने का प्रयत्न कर रहे थे। ताले टूटे नहीं थे और बरकरार थे। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि शटर पर हथौड़े की मार का कोई निशान नही था। जाहिर है कि यह महज तैयारी थी या ज्यादा से ज्यादा चोरी करने के इरादे से घर में सेंध लगाने का प्रयास था जिसमें वे सफल नहीं हुए। उन्होंने शिकायतकर्ता को चाकू या किसी अन्य घातक हथियार की नोक पर कोई मूल्यवान संपत्ति सौंपने का आदेश नहीं दिया था। उन्होंने केवल तब चोट पहुंचाई जब उसने उनकी योजना को विफल करने के लिए उन्हें चेतावनी देने का प्रयास किया था। यह कहने की आवश्यक्ता नहीं है कि हिंसा या चोट चोरी के अपराध से पूरी तरह से असंबद्ध थी। जहां चोरी करने में कोई बल या बल प्रदर्शन का इस्तेमाल नहीं पाया जाता है, वहां डकैती/लूट का अपराध नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष चोरी या डकैती का अपराध स्थापित करने में असमर्थ था क्योंकि शिकायतकर्ता के कब्जे से कोई चल संपत्ति नहीं ली गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा तत्काल चोट आदि के डर से

हमलावरों को कोई संपत्ति नहीं दी गई थी। यदि कोई संपत्ति नहीं छीनी जाती है, तो कोई डकैती नहीं होती है। डकैती के अपराध का सार यह है कि चोरी वास्तविक हिंसा या हिंसा की धमकी के माध्यम से की जानी चाहिए, जो कि इस मामले में नहीं है।

5. भा.दं.सं. की धारा 395/398 के तहत अपीलार्थी की सजा स्वीकार्य नहीं है; इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है तथा इसे अपास्त किया जाता है। दिनांक 31.01.2014 की नाममात्र सूची से पता चलता है कि अपीलार्थी ने नौ महीने और बाईस दिनों की छूट पाने के अलावा पाँच साल, आठ महीने और बीस दिन की सजा काटी है। चूँकि अपीलार्थी उन अपराधों के लिए पहले ही पर्याप्त अवधि की सजा काट चुका है जिनके लिए उसे कानूनी रूप से आरोपित किए जाने की आवश्यकता नहीं थी, अतः उसके खिलाफ साबित भा.दं.सं. की धारा 379 सहपठित भा.दं.सं. की धारा 511 एवं धारा 324 के तहत अपराध हेतु अपीलार्थी को कोई अन्य सजा देने की आवश्यकता नहीं है।

6. अपील का निपटान इस निर्देशानुसार किया जाता है कि यदि अपीलार्थी संवर उर्फ रज्जाक को किसी अन्य मामले में हिरासत में रखने की आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

7. इस आदेश की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख तुरंत वापस भेजे जायें। आदेश की एक प्रति सूचना हेतु तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक को भेजी जाये।

(एस.पी.गर्ग)
न्यायाधीश

17 फरवरी, 2014
एसए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*